रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248751 CG-DL-E-14092023-248751

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3912]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945

No. 3912]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2023

का.आ. 4074(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग (II) धारा-3, उप-धारा (ii) में दिनांक 12 जून, 2023 के का. आ. सं. 2566 (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 2 (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- "2(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए गेहूं:
  - व्यापारी/थोक विक्रेता : 2000 टन;
  - रिटेलर: प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन।
  - बिग चेन रिटेलर: प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपुओं पर 2000 टन
  - प्रोसेसर्स : वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75%, या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से
    गुणा करके, जो भी कम हो।"

[फा. सं. 3/1/2007- नीति -III] ऋचा शर्मा, अपर सचिव

5886 GI/2023 (1)

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद आदेश संख्या सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून, 2003 और का.आ. संख्या 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 2006, का.आ. संख्या 297 (अ) दिनांक 27 फरवरी 2007, का.आ. संख्या 1488 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2007 और का.आ. संख्या 2566 (अ) दिनांक 12 जुन, 2023 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution) ORDER

New Delhi, the 14th September, 2023

**S.O. 4074(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the Gazette of India, Extraordinary, Part(II) Section-3, Sub Section(ii) vide number S.O. 2566(E) dated the 12<sup>th</sup> June, 2023, namely

In the said Order, in the Paragraph 2(i) shall be replaced as under:

"2(i) Wheat for a period up to 31st March 2024 with following stock limits for all States and Union Territories:

- Traders/Wholesaler: 2000 MT;
- > Retailer: 10 MT for each Retail outlet.
- ➤ Big Chain Retailer: 10 MT for each outlet and 2000 MT at all their depot.
- Processors: 75% of annual installed capacity or quantity equivalent to monthly installed capacity multiplied by remaining months of 2023-24, whichever is less."

[F. No. 3/1/2007 Py-III] RICHA SHARMA, Addl. Secy.

**Note :** The principal order was published in the Gazette of India, vide Order No. GSR 104 (E), dated 15<sup>th</sup> February, 2002 and subsequently amended vide Order No. GSR 490 (E) dated 16<sup>th</sup> June, 2003 and S.O. No. 1373 (E) dated 29<sup>th</sup> August, 2006, S.O. No. 297 (E) dated the 27<sup>th</sup> February 2007 and S.O. No. 1488 (E) dated the 31<sup>st</sup> August, 2007 and S.O.2566(E) dated-12<sup>th</sup> June 2023.